रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 1971/पौष 18, 1892

No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 1971/PAUSA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January 1971

S. O. 225.—Whereas I, F.G.T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Product Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order 1947 to exercise the power of the Controller under the said Order ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. G.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. S. O. 3772 dated the 23rd November, 1970, I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government,

the maximum prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specifie below with effect from the 9th January, 1971, as follows :—

	Zone 'A'			Zone 'B'		
	Haryana, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chandigarh, Delhi, and Himachal Pradesh.			Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive Minicoy and Aminidivi Islands and Pondicherry.		
	By producer	By Wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) *In tin containers* (Net capacity in kilogrammes).						
16·5 . . .	83·40	88·73	90·05	81·59	86·83	88·15
15·0(*) . . .	76·14	81·00	82·20	74·50	79·28	80·48
4·0 . . .	22·07	23·45	23·77	21·63	22·99	23·31
2·0 . . .	11·50	12·21	12·37	11·27	11·98	12·14
(b) *In high density Polythene containers* (Net capacity in kilogrammes)						
1·0 . . .	6·16	6·54	6·62	6·05	6·43	6·50
(c) *In returnable galvanised steel drums*						
Per killogramme net .	5·06	5·38	..	4·94	5·26	..
(d) *Loose in small quantities*						
Per kilogramme net .	..	..	5·46	..	..	5·34

	Zone 'C'			Zone 'D'		
	Assam, Bihar, Orissa, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Manipur, Nagalands, N.E.F.A., Tripura and Meghalaya.			Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, and Goa, Daman and Diu.		
	By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)	By Producer (Rs.)	By wholesaler Rs.)	By retailer (Rs.)
(a) *In tin containers* (Net capacity in kilogrammes) . . .						
16·5 . . .	81·57	86·80	88·12	79·12	84·24	85·56
15·0(*) . . .	74·48	79·26	80·46	72·26	76·93	78·13
4·0 . . .	21·63	22·99	23·31	21·03	22·36	22·68
2·0 . . .	11·27	11·97	12·13	10·97	11·66	11·82
(b) *In high density polythene containers* (Net capacity in kilogrammes)						
1·0 . . .	6·05	6·43	6·51	5·90	6·27	6·35
(c) *In returnable galvanised steel drums*						
Per kilogramme net .	4·94	5·26	..	5·11	4·80	..
(d) *Loose in small quantities.*						
Per kilogramme net .	..	..	5·34	..	..	5·19

NOTE : (1) (*) Aerated quality—manufactured under special permission.

(2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

(3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified abve are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation : In this notification,

(i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16·5 kgs. of vegetable oil product to any one consumer at a time.

(ii) "wholesaler "means a dealer who sells vegetable oil product,

(a) to a retailer in any quantity or,

(b) to a consumer exceeding 16·5 kilogrammes at a time.

[No. 12-2/71-C.&P.-I]

F. G. T. MENEZES,
Director (Vanaspati).

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी 1971

का० आ० 225.—यतः मैं, एफ जी० टी० मैनेजिज, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त आदेश के अधीन की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिये भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।

अतः, अब, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 88 2 तारीख 24 सितम्बर 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3772 तारीख, 23 नवम्बर, 1970 को अधिक्रांत करते हुए मैं, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, अधिकतर कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 9 जनवरी 1971 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्नलिखित रूप से नियत करता हूं: —

	जोन 'क'			जोन 'ख'		
	हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश			आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तामिलनाडु, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह और पांडिचेरी		
	उत्पादक द्वारा (रु०)	थोक विक्रेता द्वारा (रु०)	फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०)	उत्पादक द्वारा (रु०)	थोक विक्रेता द्वारा (रु०)	फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०)
	1			2		
(क) टिन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)						
16.5	83.40	88.73	90.05	81.59	86.83	88.15
15.0 (*)	76.14	81.00	82.20	74.50	79.28	80.48
4.0	22.07	23.45	23.77	21.63	22.99	23.31
2.0	11.50	12.21	12.37	11.27	11.98	12.14

	जोन 'क'			जोन 'ख'		
	1			2		
(ख) उच्च घनत्व के पालियीन के आधानों में (किलोग्राम में शुद्ध धारिता)	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1.0	6.16	6.54	6.62	6.05	6.43	6.50
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध	5.06	5.38	..	4.94	5.26	..
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध	..	..	5.46	..	..	5.34

	जोन 'ग'			जोन 'घ'		
	असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, मणीपुर, नागालैन्ड उत्तर पूर्व सीमान्त अधिकरण, त्रिपुरा और मेघालय			गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दादर और नगर हवेली तथा गोवा दमन और दीव		
	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(क) टिनके आधानों में किलोग्राम में शुद्ध धारिता						
16.5	81.57	86.80	88.12	79.12	84.24	85.56
15.0(*)	74.48	79.26	80.46	72.26	76.93	78.13
4.0	21.63	22.99	23.31	21.03	22.36	22.68
2.0	11.27	11.97	12.13	10.97	11.66	11.82
(ख) उच्चघनत्व के पालियीन के आधानों में (किलोग्राम में शुद्ध धारिता)						
1.0	6.05	6.43	6.51	5.90	6.27	6.35
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध	4.94	5.26	..	4.80	5.11	..
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध	..	..	5.34	..	..	5.19

टिप्पण :

(1) (*) यातित क्वालिटी-विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।

(2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई सम्मिलित हैं किन्तु उनमें उत्पाद शुल्क, विक्रयकर, चुंगी, सीमाकर और ऐसे ही अन्य स्थानीयकर सम्मिलित नहीं हैं ।

(3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रेय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं के ढुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं किन्तु विक्रय कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नही हैं ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में—

(i) 'फुटकर विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

(ii) 'थोक विक्रेता' से ऐसा व्यवहारिक अभिप्रेत है जो,

(क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या (ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/71/ सी० एण्ड पी०-]

एफ० जी० टी० मैनेजिज,

निदेशक (वनस्पति) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971